

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 42 /2025 दिनांक 03 .02.2025

श्रीमती कंचन सिंह राजावत (RJ01176), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) को दिनांक 15.02.2025 से 07.03.2025 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती राजावत की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/41/2017/106\

दिनांक 03 .02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 5799 दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कंचन सिंह राजावत (RJ01176), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू)।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू)।


सहायक रजिस्ट्रार